Australian Government
Department of Home Affairs

मेरे पास स्थायी (permanent) वीज़ा है

स्थायी निवासी (पीआर) वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलिया में अनिश्चित काल तक रह सकते हैं लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने और वापस आने का इरादा रखते/रखती हैं, तो आपको अपने स्थायी वीज़ा पर यात्रा सुविधा की अवधि (आमतौर पर पांच वर्ष) की जांच करनी होगी।

आप इन तरीकों से जाँच कर सकते/सकती हैं:

- VEVO सेवा का उपयोग करके, या
- अपने ImmiAccount पर अपने वीज़ा की शर्तें देख करके।

यदि अपने स्थायी वीज़ा पर यात्रा की सुविधा समाप्त होने के बाद आप अस्थायी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते/करती हैं, तो इससे आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए 'निवासी वापसी वीज़ा (Resident Return visa)' देखें।